

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत..... जिला कलेक्टर ..... मुकाम..... टोंक .....

शेकर प्रीता ..... बनाम..... जयराज प्रीता .....

किस मुकदमा..... ज्ञा-ज्ञा स्या ..... नं. 581 ..... सन् 2018 .....

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>18/10/18</p>	<p>अभिजाजक प्रती उफ. उपखण्ड अधिकारी उनिच्छा के रिपवनी फण्ड नहीं हुई है। एवं सभाकत अदाहर है। दर्प सफिरर किया जाके। अरक मुनी गई अरक पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी उनिच्छा के फण-फण पर विन्दुकार रिफेरि मंगवाई जाके हमा निर्देशित किया जाके कि मुकरा में अविम लारीयक चेन्नी 22-10-18 को किला प्रकार का आदेशा जरिर नहीं करे। लररीर जारी की जाकर जमानती दि० 29-10-18 को पेरु हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर टोंक</p>	
<p>29/10/18</p>	<p>अभिजाजक प्रती उफ. उपखण्ड अधिकारी उनिच्छा के रिपवनी फण्ड नहीं हुई है। अइरेफण्ड रिफेरि। रिपवनी जमानती दि० 19-11-18 को पेरु हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर टोंक</p>	
<p>19/11/18</p>	<p>अभिजाजक प्रती उफ. उपखण्ड अधिकारी उनिच्छा के रिपवनी फण्ड नहीं हुई है। रिफेरि अिपकते हेड पर किया जाकर जमानती दि० 3-12-18 को पेरु हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर टोंक</p>	

तारीख  
हुस

हुस या कार्यवाही मय इनिशियल जज

2  
2  
नम्बर 25-कार्यवाही  
अहमदाबाद जो हुस  
हुस को तारीख  
में जारी हुए

17/6/19

अभिजातक इन्फॉर्मि उद्योग। इन्फॉर्मि एक स्थानान्तरण  
उपकरण अधिकारी उन्निमात्र के विषय क्षेत्र  
किन्ना गाय था। उपकरण अधिकारी का  
स्थानान्तरण हो चुका है। अहः इन्फॉर्मि एक  
स्थानान्तरण उपकरण किन्ना जा रहा है। उपकरण  
केसल सुम्भर होकर बाद लम्बी दायित्व  
दफ्तर की जावे।

जिला कलेक्टर  
टोंक

538  
25/6